



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257967
CG-DL-E-16102024-257967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946

No. 588]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASHVINA 24, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. 644(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, समूह 'क' कार्यपालक पद भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, समूह 'क' कार्यपालक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, समूह 'क' कार्यपालक पद भर्ती नियम, 2018 में, -
(क) नियम 7 में, "अनुसूचित जनजातियों," शब्दों के पश्चात् "अन्य पिछड़े वर्गों," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ख) अनुसूची में,-

- i. निदेशक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (13) में, “आवश्यक है” शब्दों के स्थान पर, “आवश्यक नहीं है” शब्द रखे जाएंगे;
- ii. उप सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (13) में, “आवश्यक है” शब्दों के स्थान पर, “आवश्यक नहीं है” शब्द रखे जाएंगे;
- iii. अवर सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (13) में, “आवश्यक है” शब्दों के स्थान पर, “आवश्यक नहीं है” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 109 (फा. सं. ए-50050/2/2024-प्रशा.1)]

जतिन कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, समूह 'क' कार्यपालक पद भर्ती नियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा. का. नि. - 288, तारीख 6 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2024

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Goods and Services Tax Council Secretariat, Group ‘A’ Executive Posts Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Goods and Services Tax Council Secretariat, Group ‘A’ Executive Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Goods and Services Tax Council Secretariat, Group ‘A’ Executive Posts Recruitment Rules, 2018,-

(a) in rule 7, after the words “the Scheduled Tribes,”, the words “Other Backward Classes,” shall be inserted;

(b) in the schedule,-

- i. against serial number 1 relating to the post of Director, in column (13), for the words “is necessary”, the words “is not necessary” shall be substituted;
- ii. against serial number 2 relating to the post of Deputy Secretary, in column (13), for the words “is necessary”, the words “is not necessary” shall be substituted;
- iii. against serial number 3 relating to the post of Under Secretary, in column (13), for the words “is necessary”, the words “is not necessary” shall be substituted.

[No. 109 (F. No. A-50050/2/2024-Ad.I)]

JATIN KUMAR, Under Secy.

Note : The Goods and Services Tax Council Secretariat, Group ‘A’ Executive Posts Recruitment Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification number G.S.R 288, dated the 6th September, 2018.